न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 24/2012 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2012/00158

उनवान

भगवान सिंह पुत्र श्री राम सिंह जाति गूजर निवासी सोनोठी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. भरता } पिस0 लक्ष्मन उर्फ लहसनिया जाति जाटव निवासी ओण्ड तहसील महुआ जिला
2. विरजू } दौसा।
3. लाल सिंह }
4. उगन्ती पुत्री लक्ष्मन उर्फ लहसनिया पत्नी नेहरू जाति जाटव निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली।
5. बैजन्ती पुत्री लक्ष्मन उर्फ लहसनिया पत्नी इमरनलाल जाति जाटव निवासी हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली।
6. दयाराम उर्फ कुसी } पि0 किशन जाति बावरिया नि0 इकरन(आजाद नगर) तह0 व जिला
7. सरदार उर्फ शिब्बी } भरतपुर।
8. भरत सिंह पुत्र सरदार सिंह जाति गुर्जर निवासी बरिघा तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
9. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर महोदय, भरतपुर।

..... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.02.2012 प्रकरण संख्या 148/2009 उनवान भगवान सिंह बनाम भरता, न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन।

अभिभाषकगण :—

1. श्रीमती शशी बंसल अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. श्री पुरूषोत्तम मुदगल एंव श्री सुभाष चन्द शर्मा अभिभाषक रैस्पो0 उपस्थित ।

निर्णय दिनांक :—21.12.2021

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय दिनांक 24.02.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 545 रकवा 16.05 बीघा में वादी अपीलाण्ट निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी है, जो कि वादी अपीलाण्ट के हिस्से में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के पूर्व से बतौर खुदकाश्त राजस्व अभिलेख में नियमानुसार संवत 2012 के पूर्व से चला आ रहा है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। परन्तु वादी अपीलाण्ट की अदम जानकारी में उक्त विवादित आराजी से रकवा 02 बीघा प्रतिवादीगण 06 व 07 के पिता किशन ने व रकवा 02 बीघा प्रतिवादी संख्या 08 भरत सिंह ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर फर्जी तौर पर अपने नाम पट्टा करा लिया। तथा किशन द्वारा अपने हिस्से की आराजी को बिला जेल बदल प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 को जरिये वयनामा विक्रय कर दिया। जबकि जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आते ही, वादी

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार विवादित आराजी का खातेदार हो गया, वादी अपीलाण्ट को राजस्थान सरकार द्वारा ना तो भूमि आवंटन का नोटिस दिया गया ना ही वैधानिक तौर पर आवंटन किया गया और ना ही उसे इस बाबत् किसी प्रकार का मुआवजा ही दिया गया है। अतः वादी अपीलाण्ट की बैक में राजस्व रिकार्ड में की गयी प्रविष्टियॉ वादी अपीलाण्ट के मुकाबले सर्वथा प्रभाव शून्य है। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 545 रकवा 16.05 बीघा से निस्फ हिस्से का खातेदार काश्तकार काबिज आराजी घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.02.2012 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 का निर्णय अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत पारित किया है जबकि इस तनकी को साबित करने के लिये अपीलाण्ट ने नकल जमाबन्दी संवत 2011 लगायत 2014 प्रदर्श 2 प्रस्तुत की है जिससे विदित होता है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट की खुदकाश्त की आराजी रही है। जिसे मुताबिक धारा 13 व 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 29 राजस्थान जमीदारी विश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के तहत खातेदारी प्राप्त हो गयी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानो के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 01 में अजीबोगरीब फाईडिंग दी है कि प्रदर्श 2 जमाबंदी संवत 2011–14 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से पूर्व की है वादी ने संवत 2012 में संधारित की गई जमाबन्दी प्रस्तुत नहीं की है। उनकी यह फाईडिंग कानून व रिकार्ड के विपरीत हैं क्योंकि जमाबन्दी चौसाला होती है जो संवत 2011–14 ही पढी जावेगी तथा जो प्रवष्टियॉ इस जमाबन्दी में हो रही है वही प्रवष्टियॉ संवत 2012 की मानी जावेगी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने जमाबन्दी की गलत व्याख्या करते हुये व नियमो की अनदेखी करते हुये आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं फरमाया कि अपीलाण्ट की खुद काश्त की आराजी मुताबिक कानून राज्य सरकार में निहित नहीं हुयी है। फिर भी राजस्व कर्मचारियों ने आराजी मुतनाजा को सरकार के खाते में दर्ज सिवायचक कर दी है और इसी गलत इंद्राज के आधार पर कथित आवंटन प्रतिवादीगण के हक में कर दिया है। चंकि यह समस्त कार्यवाही अवैध है जो अपीलाण्ट के मुकाबले शून्य व अवैध है। इन गलत प्रवष्टियों से अपीलाण्ट को प्राप्त अधिकारो पर कोई फर्क नहीं पडता है। इसलिये आराजी मुतनाजा का अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है। यह है कि योग्य अदालत तहत ने आराजी की बाबत् पूर्व में पारित आदेश माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 21.08.1969 पर कतई गौर नहीं किया जिसमें कलक्टर महोदय द्वारा आरजी को चारागाह से अपने आदेश दिनांक 09.01.1968 से मुक्त कर दिया तथा आराजी मुतनाजा को खुदकाश्त की आराजी माना है। जब माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने विवादित आराजी को अपीलाण्ट व उसके अन्य सहमालिकान की खुद काश्त की होना तय

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कर दिया है तो अदालत तहत को उक्त फाईडिंग के मुताबिक दावा अपीलाण्ट डिक्री किया जाना चाहिये था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने से बडे न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुये आलोच्य डिक्री व निर्णय पारित कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। विवादित आराजी का जिन व्यक्तियो को आवंटन किया गया है वह भी वहॉ के स्थानीय निवासी नहीं है बल्कि बाहर के हैं जिनका कभी भी आराजी पर कब्जा काश्त नहीं रहा है। विवादित आराजी पर आज भी अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आरआरडी 1998 पेज 44, आरआरटी 2003(1) पेज 709 का उद्धरण पेश किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित आराजी सिवायचक थी एवं विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 14.11.1977 को रैस्पो0 के हक में हुआ था एवं कब्जा भी दिया गया। यदि आवंटन गलत हुआ था जो अपीलाण्ट को उसकी अपील सक्षम न्यायालय में की जानी चाहिये थी, जो नहीं की गयी है। अपीलाण्ट के विरूद्ध 91 की कार्यवाही भी हुयी थी जिससे स्पष्ट जाहिर है कि उन्हें विवादित आराजी के सिवायचक दर्ज होने का पूर्ण ज्ञान था परन्तु उनके द्वारा इस बाबत् कोई चाराजोही नहीं की गयी। विवादित आराजी मे से 02–02 बीघा के आवंटन हुये थे। उसके बाद विवादित आराजी को विक्रय किया गया है। अपीलाण्ट ने अपने 1977 के बाद विवादित आराजी पर अपने कब्जा बाबत् कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा उनका यह भी तर्क है कि सभी आवंटियों एवं सभी खातेदारो को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् संवत 2012 में जमाबन्दी संधारित हुयी, उसे अपीलाण्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है। जिससे यह सिद्ध होता है कि संवत 2012 में वादी अपीलाण्ट का विवादित आराजी पर कब्जा काश्त नहीं था। विवादित आराजी के आवंटन के पश्चात् उक्त आराजी का वयनामा भी हुआ है। अपीलाण्ट ने उक्त वयनामा को सक्षम न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, तनकीवार तार्किक निर्णय पारित किया है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज फरमायी जावें।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु अनुतोष सहित पॉच तनकियॉ निर्धारित की हैं। उनमें तनकी संख्या 01 वादी के वाद को साबित करने के लिये महत्वपूर्ण तनकी है। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

6. <u>तनकी संख्या 01</u> :– अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकी को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की विस्तार से विवेचना की जाकर विरूद्ध वादीगण/अपीलाण्ट तय किया है। यह सही है कि संवत 2011–14 की जमाबन्दी में खाता संख्या 13 में विवादित आराजी खसरा नम्बर 545 रकबा 16–05 बीघा का इन्द्राज भगवान सिंह निस्फ, चौथाई गिर्राज वगै0 के नाम है तथा कॉलम संख्य 5 में खुदकाश्त व मकबूजा मालकान दर्ज है एवं संवत 2055–58 की जमाबन्दी के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी अलग–अलग खातो में एवं अलग–अलग व्यक्तियों के नाम विभाजित है। वादी/अपीलाण्ट द्वारा उक्त खातेदारो के विरूद्ध कोई अनुतोष दावे में नहीं चाहा है एवं ना ही उन्हें

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

पक्षकार मुकदमा ही बनाया है। इसके अलावा वादी/अपीलाण्ट स्वयं अपने बयानों में यह स्वीकार करते हैं कि मुझे यह जानकारी में था कि विवादित आराजी सिवायचक हो गयी है एवं यह भी स्वीकार किया है कि सरकार ने मुझे विवादित आराजी से कब्जा छोड़ने के लिये कहा था व मेरे खिलाफ धारा 91 के तहत कार्यवाही भी चली। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी--4 नोटिस की प्रति एवं प्रदर्श पी--5 पैनल्टी की रसीद से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर उनका कब्जा रहा है। परन्तु उक्त कार्यवाही के बाद भी विवादित आराजी पर उनका कब्जा काशत रहा हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य वादी/अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अलावा वादी/अपीलाण्ट का संवत 2012 में विवादित आराजी पर कब्जा काशत साबित करने वाला दस्तावेज भी पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। विवादित आराजी संवत 2012 में सिवायचक दर्ज रही है एवं किशन व भरत को विधिवत आवंटन हुयी है एवं उनका विवादित आराजी पर निरन्तर कब्जा काशत साबित होने के पश्चात् ही खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। वादी/अपीलाण्ट को विवादित आराजी का सिवायचक दर्ज होने की जानकारी होना एवं धारा 91 के तहत कार्यवाही होना यह आभास कराता है कि उन्हें येनकेन विवादित आराजी के आवंटन की भी जानकारी रही होगी। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अधीनस्थ न्यायालय की तनकी विवेचना में कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

7. <u>तनकी संख्या 02, 03, 04</u> :– तनकी संख्या 01 के निर्णय से प्रभावित होती हैं। अतः विवेचना किया जाना प्रासंगिक नहीं है।

8. <u>अनुतोष</u> :– समस्त तनकियात का निस्तारण हो चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के परीक्षण में वादी/अपीलाण्ट का विवादित भूमि पर स्वत्व एवं काबिज होना नहीं पाया गया है। अतः वादी/अपीलाण्ट अपना वाद सिद्ध करने में सफल नहीं हुये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी तनकियों को तय करते समय प्रत्येक तनकी पर कारण सहित उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की पूर्ण विवेचना की जाकर, अपना निष्कर्ष अंकित करते हुए, अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय तनकीवार तार्किक है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

9. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन के निर्णय व डिक्री दिनांक 24.02.2012 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

10. निर्णय आज दिनांक 21.12.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-12-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर